



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940

No. 899]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1211(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्दान में और समुद्रीय संयोजकता का प्राधिकार प्रदान करने और उसका विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **उद्दान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018** है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिगम सेवाएं (एएस)" से अभिगम सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर तार अथवा बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से वाँयस अथवा नान-वाँयस संदेशों को भेजने के लिए टेलीग्राफ के माध्यम से अभिदाताओं को उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;

(ग) "नामोद्दिष्ट प्राधिकारी" इस अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "डीओटी" से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "डीओएस" से अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;

- (च) "उड़ान में और समुद्रीय संयोजकता (आईएफएमसी) अथवा आईएफएमसी सेवा" का अभिप्राय वायुयान में और पोतों पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के टेलीग्राफ संदेश प्रदान करने के लिए टेलीग्राफ की स्थापना, अनुरक्षण और कार्य-प्रणाली है;
- (छ) "उड़ान में और समुद्रीय संयोजकता सेवा प्रदाता अथवा आईएफएमसी सेवा प्रदाता" से उड़ान और समुद्रीय संयोजकता (आईएफएमसी) प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत कंपनी अभिप्रेत है;
- (ज) "इंटरनेट" से अभिप्रेत है जो वैश्विक तौर पर अन्तःसंयोजित ऐसी नेटवर्क पद्धति है जो मानकीकृत संचार प्रोटोकॉलों का उपयोग करते हुए वैश्विक अद्वितीय अड्रेसों द्वारा आपस में युक्तियुक्त रूप से जुड़ी होती और विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती है तथा संचार सुविधाओं का समर्थन (सपोर्ट) करती है;
- (झ) "इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) श्रेणी 'क'" से अभिप्रेत है जो भारत भर में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अनुज्ञप्त इंटरनेट सेवा प्रदाता है;
- (ञ) "लंबी दूरी प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए)" अनेक क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें देश को विभाजित किया गया है और ट्रंक कॉलों का प्रभार प्राप्त करने के प्रयोजन से इस प्रकार घोषित किया गया है;
- (ट) "अनुज्ञप्ति" से प्रदान किया गया अथवा इस प्रकार के प्रभाव वाली अनुज्ञप्ति जैसे कि इसे यथास्थिति अधिनियम की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम, 1933 के अंतर्गत जारी किया गया हो;
- (ठ) "अनुज्ञप्तिधारी" एक रजिस्ट्रीकृत भारतीय कंपनी जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अनुज्ञप्ति के तहत प्राधिकृत सेवा प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो;
- (ड) "एसएसीएफए" आवृत्ति आवंटन के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति से अभिप्रेत है;
- (ढ) "सैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशन" अथवा "लैंड अर्थ स्टेशन" से अभिप्रेत है किसी मोबाइल उपग्रह सेवा के लिए फीडर लिंक प्रदान करने हेतु यथानिर्देशित नियत बिंदु पर अथवा भूमि पर स्थित यथानिर्देशित क्षेत्र के भीतर नियत उपग्रह सेवा अथवा, कुछ मामलों में, मोबाइल-उपग्रह में स्थित अर्थ स्टेशन है;
- (ण) "सेवा" से अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क पर संदेशों को एकत्र करना, वहन करना, अंतरण करना और प्रदायगी करना अभिप्रेत है;
- (त) "सेवा क्षेत्र" से अभिप्रेत है जिसमें सेवा प्राधिकार के लिए प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति के अंतर्गत यथा-विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है;
- (थ) "लघु दूरी प्रभारन क्षेत्र (एसडीसीए)" से अभिप्रेत विभिन्न क्षेत्रों में से एक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें लंबी दूरी प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए) को विभाजित किया जाता है और ट्रंक कॉलों का प्रभार वसूलने के प्रयोजन से इस नाम से घोषित किया जाता है तथा उसके भीतर स्थानीय कॉल प्रभार एवं स्थानीय नंबरिंग स्कीम लागू है;
- (द) "राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडी)" सेवा का संबंध दो अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्रों के एसडीसीए के बीच अनुज्ञप्तिधारी के राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क पर टेलीग्राफ सेवा के उपाबंध को निर्दिष्ट करता है;
- (ध) "टीईसी" से दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (न) "वीएसएटी सीयूजी" से वैरी स्मॉल अपचर टर्मिनल क्लोज्ड यूजर ग्रुप अभिप्रेत है;
- (प) "वाई-फाई" से अभिप्रेत उस ऐसी सुविधा से है जो क्षेत्र विशेष के भीतर कम्प्यूटरों, स्मार्टफोनों, अथवा अन्य युक्तियों को इंटरनेट से संबद्ध करता है अथवा बिना तार के एक दूसरे के साथ संचार करती है;
- (फ) "डब्ल्यूपीसी" से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध अभिप्रेत है;
- (2) अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके वही अर्थ होंगे जैसा इस अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. प्रयोज्यता – आईएफएमसी सेवा प्रदाता भारतीय समुद्रीय सीमाओं के भीतर पोतों पर और भारत के भीतर अथवा ऊपर अथवा भारतीय समुद्री सीमाओं में वायुयान पर बेतार वाँयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के टेलीग्राफ संदेश प्रदान करने के लिए टेलीग्राफ की स्थापना, अनुरक्षण और कार्य की व्यवस्था करेगा।

4. आईएफएमसी मानक – (1) आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किया गया एयरक्राफ्ट अर्थ स्टेशन अथवा गति की स्थिति वाला अर्थ स्टेशन इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन्स यूनियन (आईटीयू), यूरोपियन टेलीकम्यूनिकेशन्स स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट (ईटीएसआई), इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों द्वारा निर्धारित लागू मानकों अथवा तृतीय पीढ़ी भागीदारी परियोजना (3जीपीपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा निर्धारित मानकों की पुष्टि करेगा।

(2) डायरेक्ट-एयर-टू-ग्राउण्ड संचार (डीए2जीसी) का उपयोग करने वाली आईएफएमसी संचार प्रणालियों को उड़ान में संयोजकता के लिए उपयोग में लाने की अनुज्ञा होगी बशर्ते कि वे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

5. पात्रता - (1) अनुज्ञप्तिधारी आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन करने का पात्र होगा बशर्ते कि -

(क) उसके पास अभिगम सेवा अथवा आईएसपी श्रेणी 'क' की अनुज्ञप्ति हो; और

(ख) उसके पास एनएलडी अनुज्ञप्ति हो अथवा वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अनुज्ञप्ति हो और यदि उपग्रह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो खण्ड (क) में यथानिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र के भीतर उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन हो।

(2) जैसा कि उप-नियम (5) और (6) में यथानिर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित कंपनियां भी वाणिज्यिक करारों को करके आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन करने की पात्र भी होंगी, अर्थात:-

(क) भारतीय एयरलाइन की कोई कंपनी अथवा विदेशी एयरलाइन की कोई कंपनी जिसके पास नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र (एयर-स्पेस) में प्रवेश करने की अनुज्ञा हो।

(ख) कोई भी भारतीय पोत परिवहन कंपनी अथवा विदेशी पोत परिवहन कम्पनी जिसके पानी के जहाज अथवा पोत भारतीय बंदरगाहों पर आते हों अथवा भारतीय समुद्री सेवाओं में आवागमन करते हों तथा गैर-जीएमडीएसएस (वैश्विक समुद्री आपदा और सुरक्षा प्रणाली) (नेमी) अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन से संचार वहन करना चाहती हो; और

(ग) कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का 18) अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित हो।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अनुसार उसके पास उपलब्ध वाँयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा वाई-फाई के माध्यम से डाटा सेवा प्रदान की जा सकेगी।

(5) डाटा सेवा प्रदान करने के लिए, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कंपनियां निम्नलिखित में से न्यूनतम एक अनुज्ञप्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगा-

(क) अभिगम सेवा अथवा आईएसपी श्रेणी क; और

(ख) यदि उपग्रह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो भागीदार अनुज्ञप्तिधारी के सेवा क्षेत्र के भीतर खण्ड (क) में यथानिर्दिष्ट, उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी।

(6) बॉयस और डाटा सर्विस प्रदान करने के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कंपनियां निम्नलिखित के न्यूनतम एक अनुज्ञप्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगा-

(क) अभिगम सेवा; और

(ख) यदि उपग्रह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो इसके मामले में भागीदार अनुज्ञप्तिधारी के सेवा क्षेत्र के भीतर खण्ड (क) में यथाउल्लिखित उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी।

6. आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन- (1) नियम 5 के उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट कोई भी पात्र अनुज्ञप्तिधारी अथवा कंपनी आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में अवर सचिव (एएस-1), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदक अनुबंध में दिए गए उक्त आवेदन प्ररूप के व्यौरों के अनुसार अप्रतिदेय आवेदन प्रक्रमण संसाधन फीस (प्रोसेसिंग फी) का भुगतान करेगा।

(3) यदि आवेदन हर प्रकार से सही पाया जाता है तो दूरसंचार विभाग, आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदक को प्राधिकार प्रदान करेगा।

7. विधिमान्यता – नियम 6 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदान किया गया प्राधिकार इसके प्रदान करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा।

8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण – यदि, लोक-हित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा इन नियमों के किन्हीं उपाबंधों का उल्लंघन होने की स्थिति में अथवा इसके तहत देय किसी भी प्रकार के भुगतान को न करने की स्थिति में यह आवश्यक हो अथवा ऐसा करना अनिवार्य हो तो दूरसंचार विभाग किसी भी समय नियम 6 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए प्राधिकार को प्रतिसंहरण कर सकता है:

परंतु दूरसंचार विभाग ऐसे प्रतिसंहरण से पूर्व आईएफएमसी सेवा प्रदाता को इक्कीस दिन का लिखित नोटिस जारी करेगा और ऐसा प्रतिसंहरण इसके जारी करने की तारीख से इकसठवें कैलेण्डर दिवस से प्रभावी होगा:

परंतु यह और भी कि दूरसंचार विभाग इस प्रकार के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. प्रतिबंध-(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवर्कों में अंतरावरोधन से बचने के लिए भारतीय वायु क्षेत्र में न्यूनतम 3000 मीटर की ऊंचाई पर मोबाइल संचार सेवाओं का प्रचालन प्रदान करेगा।

(2) वायुयान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग सिर्फ एयरप्लेन मोड पर ही किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

10. विनियामक उपाबंध- (1) इन नियमों के अधीन विनियामक प्रावधान आईएफएमसी सेवाएं देने वाली भारतीय रजिस्टरीकृत विमानों अथवा जहाजों और विदेशी रजिस्टरीकृत वायुयान अथवा जहाजों दोनों के लिए समान होंगे।

(2) ये नियम बिजनेस जेटों, कार्यकारी वायुयान तथा नौकाओं के लिए भी लागू होंगे।

(3) आईएफएमसी सुविधा प्रदान करने हेतु भारत में रजिस्टरीकृत वायुयान में आशोधन, वायुयान नियम, 1937 के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन से किया जाएगा।

(4) हस्तक्षेप से बचने के लिए आईएफएमसी और वायुयान एवं पोतों में वायुयान-संचालन प्रणाली के लिए एक पृथक अवसंरचना होगी।

(5) आईएफएमसी वायुयान या पोत के पायलट अथवा कैप्टन के विशेष नियंत्रण में होगा ताकि किसी प्रतिकूल स्थिति के दौरान वे संयोजकता को बंद करने में सक्षम हों।

11. उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन की अवस्थिति- आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रणाली का उपयोग करने पर टेलीग्राफ संदेश भारत में स्थित उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन के माध्यम से दिया जाएगा जैसा कि नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट है तथा ऐसे उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन आगे की सेवा प्रदायगी हेतु परस्पर एनएलडी अथवा अभिगम सेवा या आईएसपी अनुज्ञप्तिधारी नेटवर्क से संबद्ध होगी।

12. उपग्रह प्रणाली- (1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता को भारतीय उपग्रह प्रणाली अथवा विदेशी उपग्रह प्रणाली क्षमता दोनों में से एक का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयुक्त उपग्रह प्रणाली में स्पेक्ट्रम न्यूट्रल दृष्टिकोण को अंगीकृत किया जाएगा।

(3) आईएफएमसी सेवा प्रदाता अथवा उसके भागीदारी अनुज्ञप्तिधारी को दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा निर्मित आवृत्ति आवंटन के साथ रेडियो स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता अथवा भागीधारक अनुज्ञप्तिधारी को जहां कहीं अपेक्षित हो उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशनों के लिए एसएसीएफए अनुमति तथा वायरलेस ऑपरेटिंग अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त होगा।

(5) दूरसंचार विभाग को जहाज पर रेडियो स्टेशनों अथवा उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशनों का निरीक्षण और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त होगा ताकि तकनीकी पैरामीटरों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

(6) दूरसंचार अनुज्ञप्तिधारी को आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु उनको पहले से ही दिए गए उपग्रह बैंडविड्थ का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

13. निगरानी अथवा अवरोधन- (1) नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को आईएफएमसी नेटवर्क के माध्यम से दिए जाने वाले टेलीग्राफ संदेश को निगरानी करने अथवा अवरोधन का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) टेलीग्राफ संदेश के विधिपूर्ण अवरोधन अथवा निगरानी हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का प्रबंध आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं या अपने सहभागी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के परिसर में किया जाएगा।

(3) एक केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली में संयोजकता स्थापित करने के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्वयं के लागत पर स्वयं अथवा अपने सहभागी अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा एक निर्धारित बिंदु तक उपयुक्त रूप से विस्तारित हार्डवेयर और बैंडविड्थ अथवा डार्क फाईबर की व्यवस्था करेगा जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित है।

(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता टेलीग्राफ संदेश स्पष्ट रूप में (एन क्लिअर फोर्म) के निगरानी की व्यवस्था स्वयं अथवा अपने सहभागी अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से करेंगे।

(5) इन नियमों के अंतर्गत अनुमत किसी सेवा की शुरुआत आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा इससे संबंधित सूचना दूरसंचार विभाग को दिए जाने के बाद ही की जाएगी:

परंतु उप-नियम (2), (3) तथा (4) में यथाविनिर्दिष्ट निगरानी सुविधाओं को आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार विभाग के समक्ष सूचना देने के नब्बे दिन के अंदर प्रमाणित किया जाना चाहिए।

14. फीस-(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता वार्षिक आधार पर देय एक रुपए के वार्षिक फीस का भुगतान भारतकोष के माध्यम से दूरसंचार विभाग को करेंगे।

(2) उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट फीस, संबंधित अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत उपग्रह बैंडविड्थ प्रभारों, अनुज्ञप्ति फीस, स्पेक्ट्रम प्रभारों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के अतिरिक्त है जो दूरसंचार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिया जाना है।

(3) अनुज्ञप्ति फीस तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के प्रयोजन के लिए सहभागी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आईएफएमसी सेवा प्रदाताओं अथवा आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने वाले अनुज्ञप्तिधारी से अर्जित राजस्व को अनुज्ञप्तिधारी के सकल राजस्व में शामिल किया जाएगा।

उपाबंध
(नियम 6 देखें)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ)

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

उड़ान और समुद्रीय संयोजकता (आईएफएमसी) सेवा प्रदान करने हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम: -----
2. टेलीफोन सं./फैक्स सं./ई-मेल
सहित पूरा डाक पता:
(i) कॉरपोरेट कार्यालय: -----
(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय: -----
3. पत्राचार के लिए टेलीफोन सं./फैक्स सं./
ईमेल सहित पता:
4. प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम, उनका
पदनाम, पता तथा टेलीफोन सं./फैक्स
सं./ई-मेल: -----
5. आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले 50,000 रु. (पचास हजार रुपए मात्र) की अप्रतिदेय आवेदन प्रोसेसिंग फीस के भुगतान का ब्यौरा। (डीडी/पीओ को एक अलग लिफाफे में संलग्न करें):-----
----- (आवेदक पर कार्रवाई करने का फीस का भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग के नाम से अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए तथा नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से अथवा भारतकोष ई-भुगतान के माध्यम से किया जाना है।
6. (i) किस सेवा को प्रदान करना प्रस्तावित है? डाटा/वाँयस/दोनों
(ii) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एकीकृत अनुज्ञप्ति के तहत प्राप्त किए गए प्राधिकार (एएस/आईएसपी-ए) अथवा अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों (सीएमटीएस/यूएसएल/आईएसपी-ए) का ब्यौरा:

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति का नाम	अनुज्ञप्ति/सेवा प्राधिकार का नाम	सेवा क्षेत्र	अनुज्ञप्ति/ प्राधिकार की सं. और तारीख

(iii) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनुज्ञप्तिधारक/अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा एकीकृत अनुज्ञप्ति के तहत प्राप्त किए गए प्राधिकार/प्राधिकारों (एनएलडी/वी-एसएटी) अथवा अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों (एनएलडी/वी-एसएटी) का ब्यौरा:

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति का नाम	अनुज्ञप्ति/सेवा प्राधिकार का नाम	अनुज्ञप्ति/ प्राधिकार की सं. और तारीख	उपयोग की जाने वाली उपग्रह प्रणाली

(iv) आवेदक द्वारा ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में ऊपर (ii) और (iii) में उल्लिखित भारतीय दूरसंचार अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारकों के साथ किए गए वाणिज्यिक करार/करारों की अधिप्रमाणित प्रति।

(कंपनी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित)

(v) सैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशन की अवस्थिति:-----

7. ज्ञापन सहित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र तथा संस्था के अंतर्नियम की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। (कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के तहत गठित की गई कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार से, अथवा विदेशी एयरलाइन/पोत परिवहन कंपनी के मामले में उस देश के संबंधित प्राधिकरण से जहां उक्त कंपनी रजिस्ट्रीकृत की गई हो)-----

(कंपनी सचिव/कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित तथा कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना है।)

8 (i) कंपनी के प्रवर्तकों/भागीदारों/शेयरधारकों का ब्यौरा:

क्र.सं.	प्रवर्तक/भागीदार/ शेयरधारक का नाम	भारतीय/ विदेशी	इक्विटी प्रतिशत	निवल संपत्ति
.....
.....
.....
.....

(100% इक्विटी का पूर्ण ब्यौरा जरूर दें कुल इक्विटी में से विभिन्न शेयरधारकों के बीच साझा किए गए 5% तक की इक्विटी हॉल्लिडिंग को साथ मिलाया जा सकता है लेकिन भारतीय तथा विदेशी इक्विटी का ब्यौरा अलग से दें)

(कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कंपनी सचिव/कानूनी परीक्षक से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

(ii) इक्विटी का ब्यौरा:

भारतीय.....

विदेशी

कुल

(कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कंपनी सचिव/कानूनी लेखापरीक्षक से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के तहत गठित की गई कंपनी के मामले में, स्वचालित मार्ग के तहत 49% तथा 49% से आगे एफआईपीपी मार्ग के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुज्ञा दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से अधिक होने के मामले में एफआईपीवी/एफआईपीपी अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अपेक्षित है।.....

(कंपनी सचिव/कानूनी लेखा परीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित तथा कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है।)

9. भारतीय वायुक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नामोद्दिष्ट भारतीय प्राधिकारियों से प्राप्त अनुज्ञा की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें-.....

(कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है)

10. निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा इस आशय का मुख्तारनामा की आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।.....

11. प्रमाण-पत्र/वचनबद्ध:

- (क) मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने "उड़ान तथा समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018" को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। मैं उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पूर्ण अनुपालन करूँगा/करूँगी।
- (ख) मैं समझता/समझती हूँ कि यदि इस आवेदन को किसी भी रूप में अधूरा पाया जाता है और/अथवा यदि इसे सशर्त अनुपालन के साथ अथवा आवेदन पर कार्रवाई करने के फीस के बिना पाया जाता है तो यह तुरंत अस्वीकृत हो जाएगा।
- (ग) मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में आवेदन अथवा प्राधिकार से संबंधित सभी मामले केवल दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थित न्यायालयों अथवा अधिकरण/अधिकरणों के अधीन होंगे।
- (घ) मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय दिया गया प्रकथन अथवा प्रदान की गई सूचना गलत पाई जाती है तो ऐसे आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया प्राधिकार और उक्त आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- (ङ.) मैं समझता/समझती हूँ कि चाहे कोई भी कारण हो आवेदन पर कार्रवाई करने का फीस अप्रतिदेय है।
- (च) मैं समझता/समझती हूँ कि बाद की तारीख में ऊपर प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति में उक्त परिवर्तन को, परिवर्तन किए जाने की तिथि के 15 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को सूचित किया जाएगा।
- (छ) मैं समझता/समझती हूँ कि बाद की तारीख में यदि लागू वार्षिक फीस में परिवर्तन करने अथवा प्राधिकार की मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के बाद इसकी शेष वैधता के बावजूद यह प्राधिकार रद्द हो जाएगा तथा मुझे उस समय की नई प्रक्रिया के अनुसार तथा इस नई प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा तथा मैं पुनरीक्षित फीस का भुगतान करूँगा।

टिप्पण : (क) उक्त आवेदन को प्रस्तुत करने के संबंधित प्राधिकारी अवर सचिव (एएस-1) हैं।

(ख) सभी अनुलग्नक अंग्रेजी में अवश्य होने चाहिए।

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

स्थान

(कंपनी की मुहर)

[फा. सं. 20-504/2016-एएस-1]

एस. बी. सिंह, उप महानिदेशक (एएस)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2018

G.S.R. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government, hereby makes the following rules for grant and regulation of authorisation for in Flight and Maritime Connectivity, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the **Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) “Access Service (AS)” means telecommunication service provided to subscribers by means of a telegraph for the conveyance of voice or non-voice messages through wired or wireless telegraphy on the network of the Access Service Provider;
- (c) “designated authority” means the officer specially authorised by the Central Government or a State Government under section (5) of the Act;
- (d) “DoT” means Department of Telecommunications, Government of India;
- (e) “DoS” means Department of Space, Government of India;
- (f) “In Flight and Maritime Connectivity (IFMC) or IFMC service” means the establishment, maintenance and working of telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages in aircraft and on ships;
- (g) “In Flight and Maritime Connectivity service provider or IFMC service provider” means a company authorised by the DoT to provide In Flight and Maritime Connectivity (IFMC);
- (h) “internet” means a globally interconnected network system that is logically linked together by globally unique addresses using standardised communication protocols and provides a variety of information and supports communication facilities;
- (i) “Internet Service Provider (ISP) category A” means Internet Service Provider licensed by DoT to provide internet service throughout India;
- (j) “Long Distance Charging Area (LDCA)” means one of the several areas, into which the country is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls;
- (k) “license” means a license granted or having effect as if granted under section 4 of the Act and Indian Wireless Act 1933 as the case may be;
- (l) “licensee” means a registered Indian company that has been awarded license to provide service authorised under the License, within the geographical boundaries of the specified service area under the Act;
- (m) “SACFA” means Standing Advisory Committee for Frequency Allocation;
- (n) “satellite gateway earth station” or “land earth station” means an earth station in the fixed satellite service or, in some cases, in the mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the mobile satellite service;
- (o) “service” means collection, carriage, transmission and delivery of messages over licensee’s network;
- (p) “service area” means the geographical area as specified under the license granted for service authorisation;
- (q) “Short Distance Charging Area (SDCA)” means one of the several areas into which a Long Distance Charging Area (LDCA) is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls and within which the local call charges and local numbering scheme is applicable;

- (r) “National Long Distance (NLD) service” refers to the provision of telegraph service over the national long distance network of the licensee between SDCAs of two licensed service areas;
- (s) “TEC” means Telecom Engineering Centre, Department of Telecommunications, Government of India;
- (t) “VSAT CUG” means Very Small Aperture Terminal Closed User Group;
- (u) “Wi-Fi” means a facility that allows computers, smartphones, or other devices to connect to the Internet or communicate with one another wirelessly within a particular area;
- (v) “WPC” means Wireless Planning and Co-ordination Wing of the Department of Telecommunications, Government of India.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Applicability.— The IFMC service provider, shall establish, maintain and work telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages on ships within Indian territorial waters and on aircraft within or above India or Indian territorial waters.

4. IFMC standards.—(1) The Aircraft Earth Station or Earth Station in Motion established by an IFMC service provider for providing the IFMC service shall conform to the applicable standards set by International standardisation bodies, such as, International Telecommunications Union (ITU), European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); or set by International fora such as 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

(2) IFMC communication systems using Direct-Air-to-Ground Communications (DA2GC) shall be permitted to be used for in Flight Connectivity, provided they are in compliance of standards set by the international bodies referred to in sub-rule (1).

5. Eligibility.—(1) A licensee shall be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service if it –

- (a) holds a license for access service or an ISP category A license; and
- (b) holds an NLD license or a commercial VSAT CUG service license, and has satellite gateway earth station within the service area of the license as specified in clause (a), in case connectivity through satellite is used.

(2) The following companies shall also be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service by entering into commercial agreements as referred to in sub-rule (5) and (6), namely:-

- (a) any Indian airlines company or foreign airlines company having permission to enter Indian airspace by the Directorate General of Civil Aviation;
- (b) any Indian shipping company or foreign shipping company whose vessels or ships call Indian ports or transit Indian territorial waters and intend to carry out communication for non-GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) [routine] or for commercial purpose; and
- (c) any company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any previous company law.

(3) A licensee referred to in sub-rule (1), may provide voice or data or both services in accordance with the scope of the license, held by it.

(4) Data service may be provided by the IFMC service provider through Wi-Fi.

(5) For providing data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –

- (a) access service or ISP category A; and
- (b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee as referred to in clause (a), in case connectivity through satellite is used.

(6) For providing voice and data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –

- (a) access service; and

(b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee of access service, in case connectivity through satellite is used.

6. Application for obtaining authorisation to provide IFMC service.—(1) Any eligible licensee or company referred to in sub-rules (1) and (2) of rule 5, shall make an application in the form as per Annexure appended to these rules, to Under Secretary (AS-I), Department of Telecommunications, Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi – 110 001, for obtaining the authorisation to provide IFMC service.

(2) The applicant under sub-rule (1) shall pay non-refundable application processing fee as per the details given in the said application form at Annexure.

(3) The DoT, if the application is found in order in all respects, shall grant the authorisation to the applicant under sub-rule (1), to provide IFMC service.

7. Validity.— The authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6 shall be valid for a period of ten years from the date of its grant.

8. Revocation of Authorisation.— The DoT may, at any time, revoke the authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6, if it is necessary or expedient to do so in public interest or in the interest of the security of the State or in case of violation of any provisions of these rules or in default of payment of any consideration payable thereunder:

Provided that the DoT shall give a written notice of twenty-one days to the IFMC service provider before such revocation and any such revocation shall be effective from the sixty-first calendar day from the date of its issuance:

Provided further that the DoT shall not be responsible for any loss which may arise out of such revocation.

9. Restrictions.—(1) The IFMC service provider shall provide the operation of mobile communication services in aircraft at minimum height of 3000 meters in Indian airspace to avoid interference with terrestrial mobile networks.

(2) Internet services through Wi-Fi in aircraft shall be made available when electronic devices are permitted to be used only in airplane mode.

10. Regulatory provisions.—(1) The regulatory permissions under these rules shall be same for both, Indian registered airlines or ships and foreign registered airlines or ships offering IFMC services.

(2) These rules shall also be applicable for business jets, executive aircraft and yachts.

(3) The modification of aircraft registered in India, to provide IFMC facility, shall be approved by the Directorate General of Civil Aviation as per the Aircraft Rules, 1937.

(4) There shall be separate infrastructure for IFMC and navigation system in aircraft and ships to avoid interference.

(5) IFMC shall be in exclusive control of the pilot or captain of the aircraft or ship to enable him to turn off the connectivity during any adverse condition.

11. Location of satellite gateway earth station.— In case of using satellite system for providing IFMC services, the telegraph message shall be passed through the satellite gateway earth station located within India, as specified in rule 5 and such satellite gateway earth stations shall be interconnected with the NLD or access service or ISP licensee's network for further delivery of service.

12. Satellite system.—(1) The IFMC service provider shall be permitted to use either Indian satellite system or foreign satellite system capacity duly authorised through the Department of Space.

(2) Spectrum neutral approach shall be adopted in satellite system being used for providing IFMC services.

(3) The IFMC service provider or its partnering licensee shall acquire the right to use radio spectrum with frequency assignment made by WPC Wing of DoT.

(4) The IFMC service provider or its partnering licensees shall obtain SACFA clearance and Wireless Operating License, for satellite gateway earth stations, wherever required.

(5) The DoT shall have right to inspect as well as monitor on board radio stations or satellite gateway earth stations to ensure compliance of technical parameters.

(6) A telecom licensee shall be permitted to use satellite bandwidth already assigned to it, for the provision of IFMC services.

13. Monitoring or interception.—(1) The designated authority, shall have the right to monitor or intercept the telegraph message passing through the IFMC network.

(2) The hardware and software required for lawful interception and monitoring of telegraph message shall be arranged by the IFMC service provider either itself or through its partnering licensee at the premises of designated authorities of the Central Government or a State Government.

(3) For establishing connectivity to a centralised monitoring system, the IFMC service provider at its own cost shall arrange either itself or through its partnering licensee, appropriately dimensioned hardware and bandwidth or dark fibre upto a designated point as required by the DoT.

(4) The IFMC service provider shall make arrangement for monitoring of telegraph message in en clair form either itself or through its partnering licensee.

(5) Any service permitted under these rules, shall be commenced by the IFMC service provider only after giving an intimation to do so to the DoT:

Provided that the monitoring facilities as specified in sub-rule (2), (3) and (4) shall have to be demonstrated by the IFMC service provider to the DoT, within ninety days from the date of intimation.

14. Fee.—(1) The IFMC service provider shall pay annual fee of one rupee to be paid on annual basis to the DoT through Bharatkosh.

(2) The fee as specified in sub-rule (1), is in addition to the satellite bandwidth charges, license fees, spectrum charges and such other charges which are to be paid by the telecom licensees under the respective licenses.

(3) Revenue earned by the partnering licensee from IFMC service providers or by the licensee providing IFMC services, shall be included in the gross revenue of the licensee, for the purpose of license fee and spectrum usage charges.

Annexure

[See rule 6]

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
(ACCESS SERVICES CELL)**

**SANCHAR BHAWAN, 20 ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.
APPLICATION FORM FOR AUTHORISATION FOR PROVIDING
IN FLIGHT AND MARITIME CONNECTIVITY (IFMC) SERVICE**

1. Name of Applicant: _____

2. Complete postal address with Telephone Nos. / FAX No. / E-Mail:
- (i) Corporate Office: _____

- (ii) Registered Office: _____

3. Address for correspondence with _____
Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: _____
4. Name of Authorised contact person, _____
his designation, address and _____
Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: _____
5. Details of payment of non-refundable application processing fee of Rs.50,000/- (fifty thousand rupees only), being submitted along with the application. (DD / PO to be enclosed in a separate envelope):

(Application processing fee to be submitted in the form of demand draft / pay order from a schedule Bank payable at New Delhi, issued in the name of Pay and Account Officer (Head Quarter) DoT or through Bharatkosh by e-payment)

6. (i) Which service is proposed to be provided? Data / Voice / Both.
- (ii) Details of the License(s) (CMTS / UASL / ISP-A) or authorisation(s) (AS / ISP-A) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s):

Sl. No.	Name of Licensee	Name of License / Service authorisation	Service area	No. and date of license / authorisation

(iii) Details of the License(s) (NLD / V-SAT) or authorisation(s) (NLD / V-SAT) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s):

Sl. No.	Name of Licensee	Name of License / Service authorisation	No. and date of license / authorisation	Satellite system used

(iv) Certified copy of commercial agreement(s) with the Indian Telecom licensee(s) mentioned in (ii) and (iii) above, to be enclosed in case if the applicant enters into any such agreement. _____
(To be certified by the Director duly authorised by the company)

(v) Location of Satellite Gateway Earth Station: _____

7. Certified copy of Certificate of Registration along with Memorandum and Articles of Association to be enclosed. (From Registrar of Companies, India, in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law or from corresponding authority of the country where the company is registered, in case of foreign airline / shipping company). _____

(To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor and countersigned by the Director duly authorised by the company)

8. (i) Details of Promoters / Partners / Shareholders in the Company:

Sl. No.	Name of Promoter/ Partner/ Shareholder	Indian/ Foreign	Equity %age	Networth
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

(Complete break-up of 100% of equity must be given. Equity holding upto 5% of the total equity shared among various shareholders can be clubbed but Indian and Foreign equity must be separate)

(Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)

(ii) Equity details:

Indian	_____
Foreign	_____
Total	_____

(Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)

(iii) FDI up to 100% with 49% under automatic route and beyond 49% through FIPP route is allowed in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law. Certified copy of FIPB / FIPP approval is required to be enclosed in case if FDI is more than 49%.

(To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by the Director duly authorised by the company)

9. Certified copy of permission from the designated Indian authorities to enter Indian airspace, to be attached. _____

(To be certified by the Director duly authorised by the company)

10. Power of Attorney by Resolution of Board of Directors, that the person signing the application is authorised signatory. _____

11. Certificates / undertaking:

(A) I hereby certify that I have carefully read the “Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018”. I undertake to fully comply with the terms and conditions therein.

(B) I understand that this application if found incomplete in any respect and/or if found with conditional compliance or not accompanied with the application processing fee, shall be summarily rejected.

(C) I understand that all matters relating to the application or authorisation if granted will be subject to jurisdiction of courts or Tribunal(s) in Delhi or New Delhi only.

(D) I understand that if at any time, any averment made or information furnished for obtaining the authorisation is found incorrect, then the application and the authorisation if granted thereto on the basis of such application, shall be cancelled.

(E) I understand that the application processing fee is non-refundable irrespective of any reason whatsoever.

(F) I understand that in case of any change(s) in the information furnished above, at a later date, the same shall be intimated to the DoT within 15 days from the date of change.

(H) I understand that in case it is decided to change the applicable annual fee or change the present process of authorisation, at a later date, this authorisation, irrespective of its remaining validity, shall stand cancelled after the specified period as decided by the competent authority and I shall have to apply as per new process at that point of time, as per terms and conditions applicable for such new process and I shall pay all the revised fees.

Note.— (a) Concerned authority for submitting the application is Under Secretary (AS-I).

(b) All the enclosures must be in English.

Date :

Signature and name of the

Place :

Authorised Signatory

(Company's Seal).

[F. No. 20-504/2016-AS-I]

S. B. SINGH, DDG (AS)